भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(18)

न्यायिक स्टाम्प अदा किया है इस प्रकार कुल स्टाम्प ड्यूटी मुबलिग 8,20,400/- रुपया अदा कर दी गई है।

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद

1. साक्षी के हस्ताक्षर

2. साक्षी के हस्ताक्षर

Rajesh Kumar Gupta

Shri Ram Gupta

Manoj Kumar Mishra

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	: IN-UP02[illegible]072114P
Certificate Issued Date	: [illegible]
Account Reference	: [illegible] ALLAHABAD/ UP-AHD
Unique Doc. Reference	: SU[illegible]0357723213409[illegible]P
Purchased by	: A[illegible]ASTAVA
Description of Document	: Article [illegible]
Property Description	: Nazul [illegible]FreeHoldPlotNo.1 BeliMustkharja [illegible] Tondon Road [illegible]MoreDetailsAsPerFreeHoldDeed
Consideration Price (Rs.)	: 1,1[illegible] (One [illegible] Lakh Eighteen Thousand And Ninety Two only)
First Party	: A[illegible] ON BEHALF OF U P GOVERNOR
Second Party	: AshokKumarSrivastava SO LateRadheyShyamSrivastava
Stamp Duty Paid By	: A[illegible] SO LateRadheyShyamSrivastava
Stamp Duty Amount(Rs.)	: [illegible]03,400 (Eight Lakh Three Thousand Four Hundred only)

Please write or type below this line

(लक्ष्मी शंकर सिंह)

[illegible]

VC 0001508810

VOID VOID VOID VOID VOID

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at [illegible]. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 1 FEB 2017 131557

(2)

<u>पट्टागत नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड का विलेख</u>

नजूल भूमि पर निजी स्वामित्व प्रदान किये जाने हेतु फ्रीहोल्ड के प्रमाण पत्र का यह विलेख सन् 2017 ई० के अप्रैल माह के २९......वें दिन, तदनुसार शक सम्वत् 1939 के वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थ.....वें दिन को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, (जिनको यहाँ आगे चल कर "विक्रेता" कहा गया है) प्रथम पक्ष तथा डा० अशोक कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० डा० राधेश्याम श्रीवास्तव आधार कार्ड नम्बर मोबाइल नम्बर निवासी मकान नम्बर 316, अलोपीबाग, डाकखाना-अलोपीबाग, परगना व तहसील सदर, शहर, इलाहाबाद

क्रेता के हस्ताक्षर

अशोक कुमार श्रीवास्तव

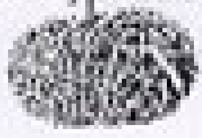

विक्रेता

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(लक्ष्मी शंकर सिंह)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(3)

(जिनको यहाँ आगे चलकर "क्रेता" कहा गया है) द्वितीय पक्ष, के मध्य लिखा गया है।

चूँकि दि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इन्डिया इन कौन्सिल एवं श्री एन० के० मुकर्जी के मध्य निष्पादित पट्टा विलेख दिनांक 27.10.1921 जो बही संख्या 1 जिल्द संख्या 469 के पृष्ठ 57 में विलेख संख्या 1571 के रूप में सब रजिस्ट्रार चायल, जिला इलाहाबाद के कार्यालय में दिनांक 09.11.1921 ई० को रजिस्टर्ड है, (जिसे आगे 'पट्टा विलेख' कहा गया है और जिसमें दि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इन्डिया इन कौन्सिल को 'पट्टादाता' और उक्त श्री एन० के० मुकर्जी को 'पट्टेदार' कहा गया है) और यह कि उक्त पट्टागत नजूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्तखारजा, इलाहाबाद जिसका सम्पूर्ण क्षेत्रफल 2 एकड़ 4423 वर्गगज था, का पट्टा, दि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इन्डिया इन कौन्सिल द्वारा श्री एन० के० मुकर्जी के पक्ष में दो 30-30 वर्षीय मध्यवर्तीय नवीनीकरण के प्राविधानों के साथ कुल 90 वर्षों के लिये दिनांक 27.10.1921 ई० को निष्पादित किया गया जो दिनांक 01.10.1921 ई० से 30 वर्ष के लिये प्रभावी रहा और श्री एन० के० मुकर्जी का नाम पट्टेदार के रूप में

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(लक्ष्मी शंकर सिंह)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 2 FEB 2017 131559

(4)

नजूल भूखण्ड उपरोक्त पर नजूल सम्पत्ति पंजिका में अंकित रहा। पट्टेदार श्री एन० के० मुकर्जी के निधनोपरान्त श्री अनिल नीलमनी मुकर्जी (श्री ए० एन० मुकर्जी) श्री सुशील कुमार मुकर्जी (श्री एस० के० मुकर्जी) उनके पुत्रगण व श्रीमती लीलालता मुकर्जी व श्रीमती प्रीतिलता मुकर्जी विवाहोपरान्त श्रीमती फरहत रहमान पत्नी श्री जे० के० रहमान उनकी पुत्रीगन व विधिक उत्तराधिकारी हुये। तत्पश्चात श्री अनिल नीलमनी मुकर्जी पुत्र स्वर्गीय एन० के० मुकर्जी ने दिनांक 18.09.1946 ई० को श्री सैम्युअल सिमियन पुत्र एडवर्ड सिमियन के पक्ष में रजिस्टर्ड जनरल पॉवर ऑफ एटार्नी (मुख्तारनामा) तहरीर व तकमील किया गया जिसकी रजिस्ट्री दफ्तर सब रजिस्ट्रार धनबाद में दिनांक 24.09.1946 ई० को हुई है। इसी प्रकार श्री सुशील कुमार मुकर्जी पुत्र स्वर्गीय एन० के० मुकर्जी ने दिनांक 19.10.1946 ई० को श्री सैम्युअल सिमियन पुत्र एडवर्ड सिमियन के पक्ष में रजिस्टर्ड स्पेशल पॉवर ऑफ एटार्नी (मुख्तारनामा) तहरीर व तकमील किया गया जिसकी रजिस्ट्री दफ्तर सब रजिस्ट्रार इलाहाबाद में दिनांक 22.10.1946 ई० को हुई है। इसी प्रकार श्रीमती प्रीतिलता मुकर्जी पुत्री स्वर्गीय एन० के० मुकर्जी विवाहोपरान्त श्रीमती फरहत

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 1 FEB 2011 131541

(6)

बाँके बिहारी लाल श्रीवास्तव के पक्ष में हस्तान्तरित कर दिया जिसकी रजिस्ट्री बही संख्या 1 जिल्द संख्या 850 के पन्ना 197 से 206 में दस्तावेज़ नम्बर 281 पर दिनांक 27.02.1948 ई० को सब रजिस्ट्रार चायल, ज़िला इलाहाबाद के कार्यालय में हुई है।

तत्पश्चात नज़ूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्तखारजा बंगला नम्बर 6, पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद क्षेत्रफल 2 एकड़ 2979 वर्गगज का पट्टा दि गवर्नर ऑफ यूनाईटेड प्राविन्स द्वारा दिनांक 12.02.1949 ई० को डॉ० राधेश्याम श्रीवास्तव के पक्ष में निष्पादित किया गया जो दिनांक 23.02.1948 ई० से 3 वर्ष 7 माह 7 दिन के लिये प्रभावी था। पट्टा विलेख की रजिस्ट्री बही संख्या 1 जिल्द संख्या 869 के पन्ना 247 से 258 में विलेख संख्या 273 के रूप में दिनांक 08.04.1949 ई० को कार्यालय सब रजिस्ट्रार चायल, ज़िला इलाहाबाद में हुई है और डा० राधेश्याम श्रीवास्तव का नाम नज़ूल भूखण्ड उपरोक्त पर नज़ूल सम्पत्ति पंजिका में पट्टेदार के रूप में अंकित हुआ। पट्टे की 30 वर्षीय अवधि समाप्त होने पर नज़ूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्तखारजा बंगला नम्बर 6, पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

अपर ज़िलाधिकारी, (नज़ूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2 FEB 2007 131560

(5)

रहमान पत्नी श्री जे० एफ० रहमान ने दिनांक 27.08.1946 ई० को श्री सैम्युअल सिमियन पुत्र एडवर्ड सिमियन के पक्ष में रजिस्टर्ड जनरल पॉवर ऑफ एटार्नी (मुख्तारनामा) तहरीर व तकमील किया गया जिसकी रजिस्ट्री दफतर सब रजिस्ट्रार शिमला में दिनांक 30.08.1946 ई० को हुई है। इसी प्रकार श्रीमती तोरुलता मुकर्जी पुत्री स्वर्गीय एन० के० मुकर्जी व पत्नी कैप्टन डी०पी०एम० दत्ता ने दिनांक 01.08.1946 ई० को श्री सैम्युअल सिमियन पुत्र एडवर्ड सिमियन के पक्ष में रजिस्टर्ड स्पेशल पॉवर ऑफ एटार्नी (मुख्तारनामा) तहरीर व तकमील किया गया जिसकी रजिस्ट्री दफतर सब रजिस्ट्रार देहरादून में दिनांक 03.09.1946 ई० को हुई है। तत्पश्चात पट्टेदार के उपरोक्त विधिक उत्तराधिकारियों के जनरल व स्पेशल पॉवर ऑफ एटार्नी होल्डर श्री सैम्युअल सिमियन पुत्र एडवर्ड सिमियन ने बंगला नम्बर 6, कानपुर रोड (पुरुषोत्तमदास टण्डन रोड) इलाहाबाद का जुज़ हिस्सा क्षेत्रफल 2 एकड़ 2979 वर्गगज व उस पर निर्मित समस्त आउट हाउजेज (मकानात) पेड़, बाग, कम्पाउण्ड वॉल, मयँ ज़मीन व मय तामीरात मय लीज़ होल्डर्स राइट्स को, विक्रय पत्र रजिस्ट्री शुदा दिनांक 23.02.1948 ई० के माध्यम से डा० राधेश्याम श्रीवास्तव पुत्र स्वर्गीय

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(7)

क्षेत्रफल 1 एकड़ 2979 वर्गगज का नवीनीकृत पट्टा दि गवर्नर ऑफ यूनाईटेड प्राविन्स द्वारा दिनांक 28.04.1954 ई० को डॉ० राधेश्याम श्रीवास्तव के पक्ष में निष्पादित किया गया जो दिनांक 01.10.1951 ई० से 30 वर्षों के लिये प्रभावी है। नवीनीकरण पट्टा विलेख रजिस्ट्री बही संख्या 1 जिल्द संख्या 962 के पन्ना 344 से 346 में विलेख संख्या 3409 के रूप में दिनांक 27.12.1954 ई० को कार्यालय सब रजिस्ट्रार चायल, जिला इलाहाबाद में हुई है। पट्टेदार डा० राधेश्याम श्रीवास्तव का स्वर्गवास अरसा पूर्व दिनांक 24.06.1983 ई० को हो गया है और उनकी पत्नी श्रीमती तारा श्रीवास्तव का भी स्वर्गवास दिनांक 25.03.2002 ई० को हो गया है और स्वर्गीय पट्टेदार डॉ० राधेश्याम श्रीवास्तव व उनकी पत्नी स्वर्गीय श्रीमती तारा श्रीवास्तव ने अपने स्वर्गवास पर डा० अशोक कुमार श्रीवास्तव, विनोद कुमार श्रीवास्तव व ललित कुमार श्रीवास्तव को अपना पुत्रगण व श्रीमती आशा वर्मा व श्रीमती रेनू कुमार को अपनी पुत्रीगण व विधिक उत्तराधिकारी छोड़ा। इस प्रकार डा० अशोक कुमार श्रीवास्तव, विनोद कुमार श्रीवास्तव व ललित कुमार श्रीवास्तव व श्रीमती आशा वर्मा व श्रीमती रेनू कुमार स्वर्गीय पट्टेदार डा० राधेश्याम श्रीवास्तव के पुत्रगण, पुत्रीगण

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

अशोक कुमार श्रीवास्तव

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

1 FEB 2016 AV 131563

व विधिक उत्तराधिकारी की हैसियत से नजूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्तखारजा बंगला नम्बर 6, पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद क्षेत्रफल 2 एकड़ 2979 वर्गगज के संयुक्त पट्टेदार हुये। तत्पश्चात स्वर्गीय पट्टेदार डा० राधेश्याम श्रीवास्तव के पुत्रगण, पुत्रीगण व विधिक उत्तराधिकारियों के मध्य नजूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्तखारजा बंगला नम्बर 6, पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद क्षेत्रफल 2 एकड़ 2979 वर्गगज व उस पर निर्मित मकान नम्बर पुराना 6, नया 27 (27/6), पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद के सम्बन्ध में आपसी समझौते के अनुसार ओरल फैमिली सेटेलमेन्ट हो गया और उक्त ओरल फैमिली सेटेलमेन्ट की बाबत एक दस्तावेज बतौर यादद्दाश्त दिनांक 20.03.2015 को स्वर्गीय पट्टेदार डॉ० राधेश्याम श्रीवास्तव के उपरोक्त विधिक उत्तराधिकारियों के मध्य तहरीर व तकमील किया गया जिसके अनुसार डा० अशोक कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० डा० राधेश्याम श्रीवास्तव नजूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्तखारजा बंगला नम्बर 6, पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद व उस पर निर्मित मकान नम्बर पुराना 6, नया 27 (27/6), पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद का जुज हिस्सा

क्रेता के हस्ताक्षर

अशोक कुमार श्रीवास्तव

विक्रेता

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(9)

जिसका क्षेत्रफल 2012 वर्गमीटर है, मय ज़मीन व मय तामीरात जो सेटेलमेन्ट उपरोक्त में संलग्न नक्शे में पोर्शन नम्बर A5 से दिखाया गया है, का तनहा मालिक हुआ। इसी प्रकार विनोद कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० डा० राधे श्याम श्रीवास्तव नज़ूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुलाखारजा बंगला नम्बर 6, पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद व उस पर निर्मित मकान नम्बर पुराना 6, नया 27 (27/6), पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद का जुज़ हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 2012 वर्गमीटर है, मय ज़मीन व मय तामीरात जो सेटेलमेन्ट उपरोक्त में संलग्न नक्शे में पोर्शन नम्बर A3 से दिखाया गया है, का तनहा मालिक हुआ। इसी प्रकार ललित कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० डा० राधे श्याम श्रीवास्तव नज़ूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुलाखारजा बंगला नम्बर 6, पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद व उस पर निर्मित भवन, का जुज़ हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 2012 वर्गमीटर है, मय ज़मीन व मय तामीरात जो सेटेलमेन्ट उपरोक्त में संलग्न नक्शे में पोर्शन नम्बर A4 से दिखाया गया है, का तनहा मालिक हुआ व इसी प्रकार श्रीमती आशा वर्मा पत्नी श्री के० के० वर्मा व पुत्री स्वर्गीय डा० राधेश्याम श्रीवास्तव नज़ूल भूखण्ड संख्या 1, बेली

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

अशोक कुमार श्रीवास्तव

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

131565

मुस्तखारुजा बंगला नम्बर 6, पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद व उस पर निर्मित मकान नम्बर पुराना 6, नया 27 (27/6), पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद का जुज़ हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 2012 वर्गमीटर है, मय ज़मीन व मय तामीरात जो सेटेलमेन्ट उपरोक्त में संलग्न नक्शे में पोर्शन नम्बर A2 से दिखाया गया है, की तन्हा मालिक हुई व इसी प्रकार श्रीमती रेनू कुमार पत्नी श्री डा० अनिल कुमार व पुत्री स्व० डा० राधे श्याम श्रीवास्तव नजूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्तखारुजा बंगला नम्बर 6, पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद व उस पर निर्मित मकान नम्बर पुराना 6, नया 27 (27/6), पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद का जुज़ हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 2012 वर्गमीटर है, मय ज़मीन व मय तामीरात जो सेटेलमेन्ट उपरोक्त में संलग्न नक्शे में पोर्शन नम्बर A1 से दिखाया गया है, की तन्हा मालिक हुई।

तत्पश्चात पहेवार के विधिक उत्तराधिकारी डा० अशोक कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० डा० राधेश्याम श्रीवास्तव ने नजूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्तखारुजा बंगला

क्रेता के हस्ताक्षर

अशोक कुमार श्रीवास्तव

विक्रेता

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(11)

नम्बर 6, पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद में अपने अंश भाग के अंश भाग क्षेत्रफल 502 वर्गमीटर भूमि को अपने पक्ष में फ्रीहोल्ड कराने हेतु उत्तर प्रदेश शासन की नई नजूल नीति के अन्तर्गत आवेदनपत्र संख्या 88 दिनांक 31.03.2015 ई० को प्रस्तुत किया गया। जिसका फ्रीहोल्ड पट्टेदार के विधिक उत्तराधिकारी डा० अशोक कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० डा० राधेश्याम श्रीवास्तव के पक्ष में किया जा रहा है। इस प्रकार "क्रेता" पक्ष विलेख की अनुसूची में उल्लिखित नजूल भूखण्ड, जिसे इस विलेख की अनुसूची में वर्णित किया गया है, के पट्टेदार के विधिक उत्तराधिकारी है।

और चूँकि क्रेता ने इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड जिसका वह पट्टेदार का विधिक उत्तराधिकारी है, प्रदेश की नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण विषयक शासनादेश संख्या-2288/9-आ-4-98-704एन/97, दिनांक 1-12-1998 एवं शासनादेश संख्या-1956/8-4-08-266 एन/08 दिनांक 21.10.2008 एवं शासनादेश

क्रेता के हस्ताक्षर

अशोक कुमार श्रीवास्तव

विक्रेता

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2 FEB 2017 AY 131567

(12)

संख्या-1171/8-4-09-266 एन/08 दिनांक 26.05.2009 एवं शासनादेश संख्या-1566/8-4-11-137 एन/04 दिनांक 28.09.2011 एवं शासनादेश संख्या-01/416/8-4-14-137 एन/2013 दिनांक 04.03.2014 एवं शासनादेश संख्या-03/107/8-4-15-137 एन/15 दिनांक 15.01.2015 में निर्दिष्ट निर्देशानुसार फ्रीहोल्ड लैण्ड घोषित करने तथा उस पर क्रेता को निजी स्वामित्व प्रदान करने हेतु जिलाधिकारी, जिला-इलाहाबाद को निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र दिया है।

और चूंकि नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण विषयक जारी उपर्युक्त शासनादेशों में निर्दिष्ट निर्देशानुसार शासनादेश संख्या-2268/9-आ-4-98-704एन/97, दिनांक 1-12-1998 एवं शासनादेश संख्या-1956/8-4-08-266 एन/08 दिनांक 21.10.2008 एवं शासनादेश संख्या-1171/8-4-09-266 एन/08 दिनांक 26.05.2009 एवं शासनादेश संख्या-1566/8-4-11-137 एन/04 दिनांक 28.09.2011 एवं शासनादेश संख्या-01/416/8-4-14-137 एन/2013 दिनांक 04.03.2014 एवं शासनादेश संख्या-

क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

विक्रेता

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 1 MAR 2017 AY 131560

03/107/8-4-15-137 एन/15 दिनांक 15.01.2015 के अनुसार रुपान्तरण की धनराशि रुपये 24,46,470/- (रुपये चौबीस लाख छियालीस हजार चार सौ सत्तर मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या 110108, दिनांक 20.03.2015 द्वारा तथा दिनांक 07.10.2016 को निर्गत मांग पत्र संख्या 349/नजूल-(एस.एन.सी.XXI-0/08(फ्रीहोल्ड) 2016-2017 द्वारा अपेक्षित धनराशि रुपये 92,71,622/- (रुपये बानबे लाख इकहत्तर हजार छः सौ बाइस मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या A 110007 दिनांक 02.01.2017 द्वारा इस प्रकार सम्पूर्ण आकलित निर्धारित मूल्य रुपये 1,17,18,092/- (रुपये एक करोड़ सत्रह लाख अठारह हजार बानबे मात्र) क्रेता से प्राप्त करके जिलाधिकारी, जिला-इलाहाबाद आगे वर्णित शर्तों के अधीन इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड को निजी स्वामित्व वाला (फ्री-होल्ड) भूखण्ड घोषित करने तथा उस पर क्रेता को निजी स्वामित्व प्रदान करने हेतु एतद्द्वारा सहमत हैं।

अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स ऐक्ट 1895 (सन् 1895 ई० का ऐक्ट संख्या 15) के अधीन निष्पादित

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

1 FEB 2017 AN 131569

(14)

यह विलेख साक्षी है कि इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड क्रेता के पक्ष में फ्रीहोल्ड (निजी स्वामित्व) घोषित करने हेतु क्रेता द्वारा विक्रेता को कुल धनराशि रुपये 1,17,18,092/- (रुपये एक करोड़ सत्रह लाख अट्ठारह हजार बानबे मात्र) जिला-इलाहाबाद स्थित राजकीय कोषागार में उपर्युक्त ट्रेजरी चालान द्वारा किये भुगतान (जिसकी प्राप्ति विक्रेता एतद्द्वारा स्वीकार करता है), के प्रतिफलस्वरूप तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों जिनका क्रेता पालन करेगा, को ध्यान में रखकर विक्रेता एतद्द्वारा वह भूखण्ड, उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची में दिया गया है और जो स्पष्टीकरण के लिये इस विलेख से संलग्न मानचित्र में लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है को महायोजना में विनिर्दिष्ट आवासीय भू-उपयोग के निमित्त फ्रीहोल्ड घोषित करते हैं और उस पर क्रेता को निजी स्वामित्व प्रदान करते हैं और क्रेता, उसके वारिस/उत्तराधिकारी तथा समनुदेशिती सदा के लिये उसे अपने अधिकार में रखेंगे।

इस विलेख की अनुसूची में वर्णित भूखण्ड या उस पर निर्मित अथवा निर्माण

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

लिये जाने वाले भवन के सम्बन्ध में इस समय देय करों और उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करों का भुगतान क्रेता करेगा।

इस विलेख से उत्पन्न या इसके सम्बन्ध में या इसके विषय पर यदि कोई भी विवाद, मतभेद अथवा प्रश्न दोनों पक्षों या उनके दावेदार के बीच कभी उठ खड़ा हो तो वह निर्णय हेतु राज्य सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव को भेजा जायेगा और उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इस विलेख के दोनों पक्ष उनसे बाध्य होंगे।

इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में जो कुछ भी व्यय होगा, क्रेता वहन करेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द "विक्रेता" और "क्रेता" के सम्बन्ध में, जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो, "विक्रेता" में उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितों का तथा "क्रेता" में उसके दायाधिकारियों, निष्पादकों, प्रबन्धकों, प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितियों का

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2 FEB 2011 AV 131571

आवश्यक है।

इस विलेख के साक्ष्य में क्रेता और विक्रेता की ओर से एवं उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने उन तिथियों को हस्ताक्षर कर दिये हैं जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी है।

इसमें अभिदिष्ट अनुसूची निम्नांकित है :-

नजूल से परिवर्तित फ्रीहोल्ड भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्तखारजा, इलाहाबाद (पार्ट) क्षेत्रफल 592 वर्गमीटर स्थित मोहल्ला पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, तहसील सदर, शहर इलाहाबाद जो संलग्न नक्शे में लाल रंग से दिखाया गया है और जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है :-

चौहद्दी :-

पूरब - बाघम्बरीवील ब्वायज हाईस्कूल, इलाहाबाद।

पश्चिम - नजूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्तखारजा, इलाहाबाद का अंश भाग ललित कुमार श्रीवास्तव का।

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

उत्तर - नजूल भूखण्ड संख्या 1, बैली मुस्तखारजा, इलाहाबाद का अंश भाग।

दक्षिण - पी० डी० टण्डन रोड (कानपुर रोड) इलाहाबाद।

फ्रीहोल्ड के लिये क्रेता ने रुमूल्यांकन की धनराशि रुपये 24,46,470/- (रुपये चौबीस लाख छियालीस हजार चार सौ सत्तर मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या 110108, दिनांक 20.03.2015 द्वारा तथा निर्गत मांग पत्र की धनराशि रुपये 92,71,612/- (रुपये बानबे लाख इकहत्तर हजार छः सौ बारह मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या A 110007 दिनांक 02.01.2017 द्वारा इस प्रकार सम्पूर्ण मूल्य रुपये 1,17,18,092/- (रुपये एक करोड़ सत्रह लाख अट्ठारह हजार बानबे मात्र) जमा कर दिया है।

इस फ्रीहोल्ड-विलेख में मुबलिग 8,03,400/- रुपया जरिये E-Stamp जिसका सर्टिफिकेट नम्बर IN-UP02384149072114P व सीरियल नम्बर VO 0006503610 है, के द्वारा व मुबलिग 17,000/- रुपया का भारतीय गैर

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

अशोक कुमार [illegible]

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

SITE PLAN OF NAZUL PLOT NO.-1,BELI MUSTKHARJA BUNGALOW NO.-6,P.D TANDON ROAD, ALLAHABAD, AREA-552.90 SQM WHICH APPLIED FOR FREEHOLD IN FAVOUR OF SMT. RENU KUMAR, W/O DR. ANIL KUMAR AND D/OLATE DR. RADHEY SHYAM SRIVSTAVA TOTAL AREA OF NAZUL PLOT NO.-1,BELI MUSTKHARJA ,BUNGLOW NO.-6,P.D.TANDON ROAD,ALLAHABAD-2 ACRE-2979 SQYD.

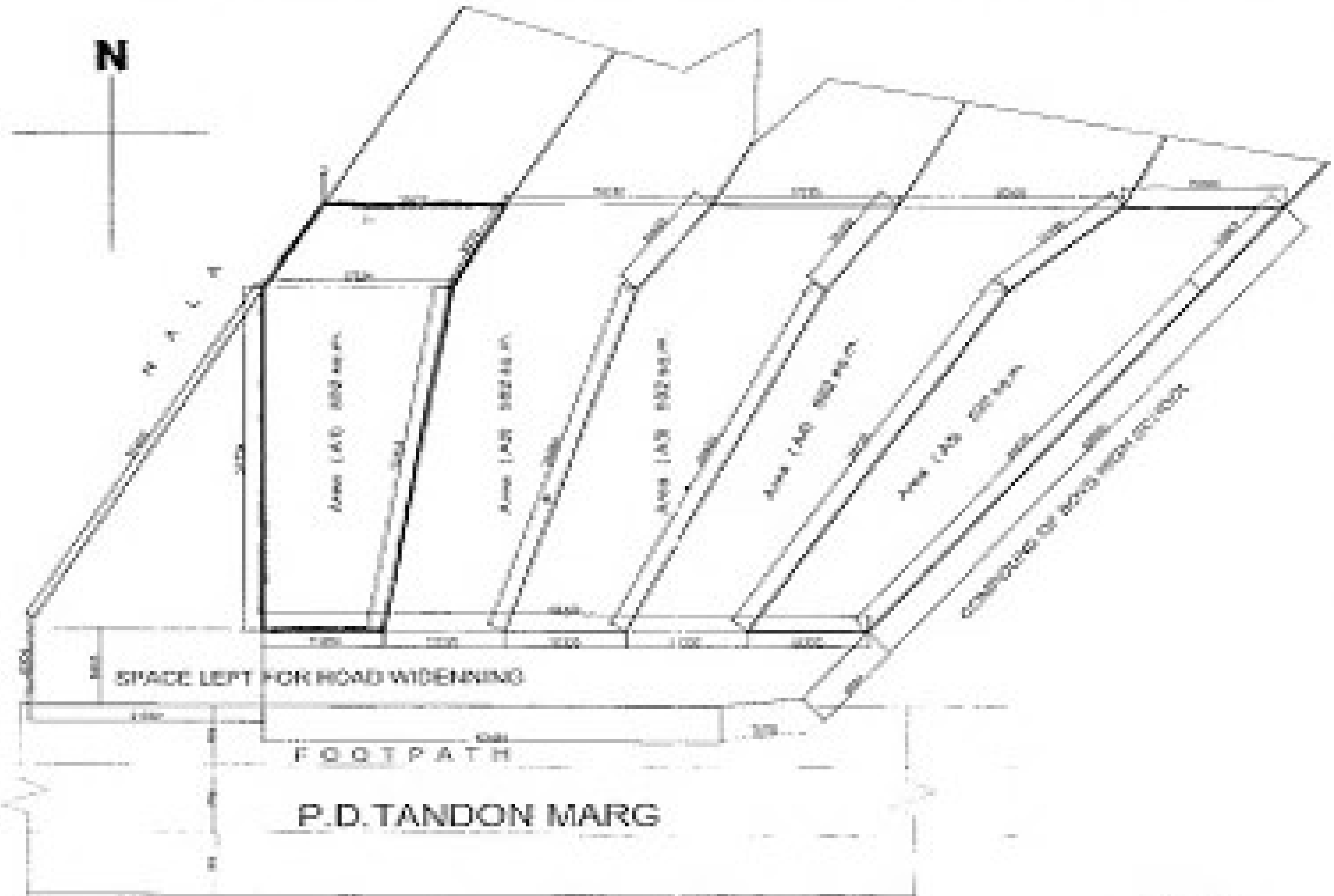

VENDOR

VENDEE

A.D.M. (NAZUL) ALLAHABAD
FOR AND AUTHORIZED ON
GOVERNER UTTAR PRADESH